(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above. [Plced in Library. *See* No. L.T. 1022/99]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Eighth Annual Report and Accounts of the Institute of Pesticide Formulation Technology, Gurgaon, for the year 1998-99, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute. [Placed in Library. *See* No. L.T. 1024/99]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, New Delhi, for the year 1998-99, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Cooperative. [Placed in Library. *See* No. L.T. 776/99]

(iii) (a) Nineteenth Annual Report and Accounts of the Krishak Bharati Cooperative Limited, New Delhi, for the year 1998-99, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Cooperative. [Placed in Library. *See* No. L.T. 775/99]

**I. Notification of the Ministry of Environment and Forests**

**II. Reports and Accounts (1997-98, 1998-99) of variousInstitutes and related papers**

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी)** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

I. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अधीन ताज ट्रापेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण के गठन संबंधी अधिसूचना को प्रकाशित करने वाली पर्यावरण और वन मंत्रालय की का.आ. 350(अ) दिनांक 18 मई, 1999 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।[पुस्तकालय में रखी गई दखिये सं एल० टी० 930/99]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(i) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए इंड़ियन काउंसिल ऑफ फोरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त काउंसिल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।।[पुस्तकालय में रखी गई दखिये सं.एल०टी० 926/99]

(ii) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए सलीम अली सेन्टर फार ओरनिथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त सेन्टर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गईदखिये सं एल०टी० 925/99]

(iii) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त इंस्टिट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये सं.एल०टी०927/99]

(iv) (क) 1998-99 के वर्ष के लिए सी.पी.आर. एन्वायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त सेंटर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।।[पुस्तकालय में रखी गई दखिये सं.एल०टी०929/99]

(v) (क) 1998-99 के वर्ष के लिए सेंटर फोर एन्वायरनमेंट एजुकेशन, नेहरू फाउंडेशन फोर डेवलपमेंट, अहमदाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त सेंटर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।।[पुस्तकालय में रखी गई देखिये सं. एल०टी०928/99]

(vi) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए जी.बी.पन्त इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरनमेन्ट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त सेंटर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई दखिये सं.एल०टी०923/99]

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

(vii) (क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन 1997-98 के वर्ष के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।[पुस्तकालय में रखी गई देखिये सं एल० टी०9240/99]

## Notifications of the Ministry of Labour

**श्रम मंत्री (डा. सत्य नारायण जटिया )** :सभापति महोदय, में श्री मुनिलाल की ओर से शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 के अधीन श्रम मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1999 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 39, दिनांक 30 जनवरी, 1999।

(2) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 40, दिनांक 30 जनवरी, 1999।